हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में स्थित कैंटीन हेतु नियम व शर्ते

1. कैंटीन की ठेका अवधि ग्यारह मास के लिए होगी, जो कि कार्य के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक किराये में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये आगामी फिर ग्यारह मास तक बढ़ाई जा सकती है।
2. यह कि खुली बोली में हिस्सा लेने के लिये ठेकेदार को पैन कार्ड/आधार कार्ड की प्रतियां व दो फोटो साथ लेकर आनी होगी।
3. यह कि खुली बोली में हिस्सा लेने के लिये बोलीदाता पूर्व अग्रिम जमानत राशि 25,000/- रुपये का डिमांड ड्राफट जो कि सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नाम पर देय होगा, ले कर आयेगा अन्यथा वह बोली में भाग नहीं ले सकेगा।
4. कैंटीन प्रातः 8.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक के लिये खुली रहेगी।
5. यह कि सबसे अधिक बोली देने वाली फर्म को आगामी दो महीने का एंडवास किराया तीन दिन के अन्दर आयोग कार्यालय में जमा करवाना होगा।
6. यह कि सबसे अधिक बोली देने वाला ठेकेदार यदि तीन दिन के अन्दर–अन्दर दो महीने का एंडवास किराया जमा नहीं करवाने की सूरत में अग्रिम राशि 25,000/–रूपये जब्त करते हुये द्वितीय ठेकेदार (दूसरे नम्बर पर बोली लगाने वाले) को कार्य अलाट कर दिया जायेगा।
7. यह कि सबसे अधिक बोली देने वाले ठेकेदार को कार्यालय से स्वीकृति पत्र मिलने के 7 दिन के अन्दर–अन्दर ईकरारनामा होने के बाद ही कार्य शुरु करना होगा और निर्धारित समय में कार्य शुरू न करने पर भी मासिक किराया स्वंत आरंभ हो जायेगा।
8. यह कि ठेकेदार को महिने की 7 तारीख तक मासिक किराया कार्यालय में जमा करवाना होगा अन्यथा मासिक किराये की राशि पर लेट फीस के रुप में 100/- रुपये प्रति दिन 20 तारीख तक तथा 200/- रुपये प्रतिदिन आगामी दिनों के लिये देनी होगी।
9. कैन्टीन अच्छी स्थिति में निर्धारित अवधि बाद, अथार्त 11 मास बाद खाली करनी होगी तथा जिसका कब्जा स्वतः ही प्रथम पक्ष हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग के नाम होगा।
10. बिजली का कनैक्शन, पानी का कनैक्शन हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग के नाम होगा। पानी व बिजली के रूप में बिल शुल्क 2000/- रुपये प्रति माह अलग से देना होगा।
11. यह कि कैन्टीन चलाने हेतु स्वास्थ्य विभाग या किसी अन्य विभाग से फुड लाईसैन्स/सेल टैक्स संख्या की आवश्यकता होगी तो वह ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित विभाग से अपने स्तर एवं खर्च पर लेना होगा।
12. कैन्टीन की सेवाएं आम जनता के लिए भी उपलब्ध करवानी होगी।
13. यह कि कैंटीन के स्थान को बदलने का अधिकार केवल हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को होगा।
14. कैन्टीन में केवल अच्छी गुणवता की खाद्य सामग्री व अन्य सामान की बिक्री की अनुमति होगी।
15. चाय, काफी, दूध व खाने के अतिरिक्त कोई भी खाद्य पदार्थ कैंटीन में नही बनाया जायेगा।
16. बिक्री की जाने वाली वस्तुओं की गुणवता अच्छे स्तर की एवं दरें बाजार की दरों से अधिक नही होगी व वस्तुओं की दरों का प्रदर्शन कैन्टीन से बाहर अंकित करना होगा।
17. यह कि यदि ठेकेदार निर्धारित रेट से अधिक राशि वसूल करता पाया गया तो उससे प्रथम बार 500/- रुपये, द्वितीय बार 1000/- रूपये, तृतीय बार 2000/- रूपये जुर्माना राशि वसूल की जायेगी

और उसके बाद नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये ठेका रदद् किया जा सकता है, जिस बारे कार्यालय का निर्णय अंतिम होगा, इसके विरूद्व ठेकेदार कोर्ट में नहीं जा सकता।

18. कैन्टीन तथा इसके आसपास साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
19. यह कि कैंटीन से सम्बन्धित सिविल व अन्य मामलों का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
20. यदि किसी अवस्था में यह पाया जाता है कि कैन्टीन में बेची जाने वाली वस्तुएं अच्छी गुणवता की नहीं है तथा इन खाद्य वस्तुओं से उपयोग होने वालों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो कैन्टीन ठेका अवधि तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी तथा ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।
21. यह कि सम्बन्धित ठेकेदार यदि निर्धारित अवधि से पहले ठेका छोड़ता है, तो उसकी अग्रिम जमानत राशि (25000/- रूपये व दो मास का एंडवास किराया) जब्त कर लिया जायेगा।
22. कैन्टीन में आयोग के अधिकृत प्रतिनिधि किसी भी समय बिना सूचित किए निरीक्षण करने हेतु प्रवेश के हकदार होगें।
23. यह कि हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को किसी भी समय अन्य शर्त जोड़ने या बदलने का पूर्ण अधिकार होगा।
24. यह कि हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को ठेका की अवधि बिना कोई कारण बताये व बिना किसी पूर्ण सूचना के किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।
25. यदि कभी ऐसा पाया गया कि ठेकेदार उपरोक्त शर्तो व नियमों की अवहेलना कर रहा है तथा व्यवहार ग्राहको के साथ ठीक नहीं है तो हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को बिना किसी सूचना के कैंटीन के ठेके को तुरन्त रद्द करने का अधिकार होगा।
26. यह कि यदि किसी प्रकार का कोई झगड़ा या झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति/झगड़े को सुलझाने में प्रथम अपीलीय अधिकारी सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन, आयोग होंगे तथा अंतिम व द्वितिय अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग होगें तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को स्वीकार्य होगा। इस अधिकार के तहत अध्यक्ष, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को कैंटीन बूथ से सम्बन्धित नियम व शर्तो में बदलाव व अन्य शर्ते जोड़ने का एकाधिकार होगा तथा किसी भी पक्ष को अध्यक्ष, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के एकाधिकार को चुनौती देने का अधिकार नही होगा।

अवर सचिव,
कृतेः सचिव, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन अयोग,
पंचकुला।